

नय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर



21.5.2023

तारीख रजु.....

बनाम

प्रेमचन्द

जगमोहन वगैरा

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|--|---|
| <p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1193 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिवार्यत बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 16.10.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.10.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) जिला कठूमर (अलवर) राज० </p> <p> मुद्रांक संख्या ४५०/P.३. दिनांक १६/१०/२३ पत्रावली दिनांक १६/१०/२३ प्रति० नै०-१ की २१६-४६६६६६ ने पेश हो। </p> <p> वकील सायल दिनांक ३०/११/२३ को पेश हो </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) </p> | |



| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|-------------|------------------------------------|
|-------------|------------------------------------|

30/1/24

हुक्म जारी कर दिया
 आवक क्रमांक 22/3/24
 को पेश हो।

[Signature]

22/3/24 ~~हुक्म जारी कर दिया~~ जज वार एमा ने कार्य
 स्विकार कर रखा है। ~~हुक्म जारी कर दिया~~
 हुक्म जारी दिनांक 31/5/24 को पेश हो।

31/5/24

NOT PESS
[Signature]

पत्रावली पत्रावली के कमील आगे उपलब्ध
 कमील आगे प्रपत्र आर्जन पर को पत्रावली
 न ही चलाना चाहिए है कमील आगे ने
 आर्जन को को NOT PESS किया है,
 आर्जन को NOT PESS ने खादिल किया
 हुआ है पत्रावली कमील हुक्म ऐच्युअल
 को नम हो पूरा कार्य के समाप्त रहे

31/5/24